कोरोनावायरस (COVID-19) अंतिम संस्कार सहायता

COVID-19 के महासंकट ने बहुत से परिवारों के सम्मुख इस अपरिहार्य पीड़ा और दुख को ला खड़ा किया है। FEMA में, हमारा उद्देश्य लोगों को आपदाओं से पहले, आपदाओं के दौरान और आपदाओं के बाद के लिए सहायता प्रदान करना हैं। हम इस वायरस के कारण होने वाले कुछ वित्तीय तनाव और बोझ को कम करने में सहायता करने के लिए समर्पित हैं।

FEMA 20 जनवरी, 2020 के बाद किए गये COVID-19 संबंधी अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

अंतिम संस्कार सहायता प्राप्त करने के योग्य होने के लिए, आपका इन शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है:

- मौत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई होनी ज़रूरी है।
- आवेदक का संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, गैर-नागरिक राष्ट्रीय, या योग्य विदेशी होना ज़रूरी है, जिसने 20 जनवरी 2020 के बाद अंतिम संस्कार संबंधी खर्चों का वहन किया है।
- जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उसका संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, गैर-नागरिक राष्ट्रीय, या योग्य विदेशी होने संबंधी कोई आवश्यकता नहीं है।
- मृतक व्यक्ति के मृत्यु प्रमाणपत्र पर यह लिखा होना ज़रूरी है कि कोविड-19 को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था या मौत कोविड-19 के कारण हुई थी। अगर कोई मृत्यु 20 जनवरी और 16 मई, 2020 के बीच होती है, और मृत्यु प्रमाणपत्र पर उस मौत का ज़िम्मेदार कोविड-19 को नहीं ठहराया गया था, तो उसके साथ मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ उसे प्रमाणीकृत करने वाले अधिकारी, स्थानीय कोरोनर या चिकित्सा जांच अधिकारी के एक हस्ताक्षरित बयान का होना ज़रूरी है जो मौत के कारण को कोविड-19 से जोड़ता है।

कौन से खर्च प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के योग्य होंगे?

योग्य खर्चों में ये शामिल हो सकते हैं पर इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- मृतक व्यक्ति की पहचान करने के लिए यातायात का साधन
- मृतक के अवशेषों का हस्तांतरण
- कब्रिस्तान या श्मशान घाट में आला
- निशान लगाने वाला या कब्र का पत्थर
- पादरी, पुरोहित या धर्मगुरु सेवाएं
- अंतिम संस्कार गृह के स्थानीय उपकरणों या कार्मिकों का उपयोग
- शवदाह या दफनाए जाने की लागत

मुझे FEMA को कौन सी जानकारी प्रदान करने की ज़रूरत है?

FEMA के पास आवेदन करने के लिए सम्पर्क करने से पहले कृपया निम्नलिखित जानकारी को तैयार रखें:

- आपका नाम, सामाजिक सुरक्षा नंबर, जन्म तिथि, डाक पता और सम्पर्क करने के लिए फोन नंबर।
- प्रत्येक मृतक व्यक्ति का नाम, सामाजिक सुरक्षा नंबर, और जन्म तिथि।
- वह स्थान या पता जहाँ उस व्यक्ति की मौत हुई थी।
- अन्य स्रोतों से प्राप्त किसी भी सहायता के दस्तावेज़ और रसीदें, जिनमें दफ़नाने या अंतिम संस्कार बीमा, दान, स्वैच्छिक एजेंसियां, अन्य सरकारी कार्यक्रम या लाभकारी संगठन शामिल हैं।
- किसी भी सह-आवेदक(आवेदकों) का नाम और जानकारी यदि आपके अलावा किसी और व्यक्ति ने मृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के संस्कार का खर्च उठाया है

मैं इस सहायता के लिए कैसे आवेदन करूँ?

FEMA की COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता हेल्पलाइन को आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए

1-844-684-6333

(TTY: 800-462-7585)

को सोमवार – शुक्रवार, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक फ़ोन करें।

अपना आवेदन देने के बाद, आप ऑनलाइन Disasterassistance.gov **पर जाकर, या फैक्स द्वारा 855-261-3452** पर अपने दस्तावेज़ भेज सकते हैं। दस्तावेज़ डाक द्वारा यहां भी भेजे जा सकते हैं:

COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता
P.O. Box 10001
Hyattsville, MD 20782

आप हमें ऑनलाइन विज़िट भी कर सकते हैं:

FEMA.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance. फ़ोन द्वारा एवं वेबसाइट दोनों पर जानकारी कई भाषाओं में प्रदान की जाती है।

FEMA